छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर

//अधिसूचना//

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 25.09.18

क्रमांक एफ 10–15/2018/16 :– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि कारखानों में महिला कामगारों को शाम 07.00 बजे से 10.00 बजे के मध्य, कतिपय शर्तो, जो कि महिला कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु विहित किया जाये, के साथ नियोजित किया जा सकेगा, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कारखाना के मालिक के आवेदन पर कारखाना का मुख्य निरीक्षक, महिला कामगारों से सम्यक् परामर्श और सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, उपरोक्त उल्लिखित शर्तो सहित कारखाना में महिला कामगारों के नियोजन हेतु अनुमति प्रदान कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
24/9/18
(दिव्या उमेश मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 25.09.18

क्रमांक एफ 10–15/2018/16 :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–15/2018/16, दिनांक .... का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
24/9/18
(दिव्या उमेश मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

NOTIFICATION

Atal Nagar, Raipur, Date :- 25.09.18

No. F-10-15/2018/16 :- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (No.LXIII of 1948), the State Government, hereby, declares that women workers may be employed in the factories between 7 P.M. and 10 P.M. with certain conditions as may be prescribed to ensure health, safety and welfare of the women workers, on application from occupier of any factory,

निरंतर....2

registered under the said Act, the Chief Inspector of the Factory, may after due consultation and obtaining the consent of women workers. grant permission for employment of women workers in the factory with the above mentioned conditions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(Divya Umesh Mishra)
Deputy Secretary
Govt. Of C.G., Labour Deptt

पृ0 क्रमांक एफ 10–15/2018/16 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 25.09.18

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, ।
4. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी.. (छ.ग.)
5. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
6. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर/बिलासपुर/रायगढ़/दुर्ग/कोरबा/हाईजिन लैब ।
7. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जांजगीर–चांपा/बलौदाबाजार/अंबिकापुर/जगदलपुर।
8. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
9. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. गार्ड फाईल।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

C:\Users\Nelam\Desktop\netam Desc\New 2018\adhisuchana.doc